

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

यादी क्रमांक -टीए-हर-1टी-2023/ 13417

दिनांक: 5/12/23

विषय:-

श्री देव राज गुप्ता, लेखा अधिकारी के हक में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी
करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

श्री देव राज गुप्ता, लेखा अधिकारी कार्यालय जिला परिषद, हिसार से 58 वर्ष की आयु
उपरान्त दिनांक 30.06.2024 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है । आपसे अनुरोध
है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस विभाग को सूचित करने का
कष्ट करें उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के कोई ड्यूज तो नहीं है । अन्यथा
सेवा निवृत्ति उपरान्त यदि कोई मामला प्राप्त होता है तो आपका विभाग स्वयं जिम्मेवार
होगा ।

संयुक्त निदेशक

कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ0 क्रमांक -टीए-हर-1टी-2023/

दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग (वि0ले0शाखा) ।
2. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद हिसार ।
3. प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग को भेजते हुए लिखा जाता है कि इसे कार्यालय
की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

२०-

संयुक्त निदेशक

कृते: निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।